

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 73 /2020

दिनांक : 13.05.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./69/2020 दिनांक 21.03.2020 के द्वारा श्रीमती कबिता शर्मा (RJ0922), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर (अलवर) को दिनांक 23.03.2020 से 04.04.2020 तक 13 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 22.03.2020 एवं 05.04.2020 से 06.04.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से
[Signature] 13.5.2020

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/93/2015/ 2294

दिनांक 13.05.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 8584 दिनांक 21.03.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती कबिता शर्मा (RJ0922), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर (अलवर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर (अलवर)।
5. सुश्री सीमा चौहान (RJ1011), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहरोड़ (अलवर)।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहरोड़ (अलवर)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

[Signature]
सहायक रजिस्ट्रार